


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1169 /2021

दिनांक 25.05.2021

डॉ. लक्ष्मणदत्त किराडू (RJ0193), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II को दिनांक 20.04.2021 से 26.04.2021 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
24.05.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/32/1993/ 3313

दिनांक 25.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 30 दिनांक 04.05.2021 सन्दर्भ में।
3. डॉ. लक्ष्मणदत्त किराडू (RJ0193), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार